10 रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(5) (6)

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प उज्जैन म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2017–18 निगरानी

PBR/निगरानी/शाजापुर/भू.रा/2018/0554

कमलसिंह पिता मुंशीलाल, आयु–50 वर्ष, व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम मितेरा, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. ———आवेदक

विरूद्ध

1– सिद्धुलाल पिता भैराजी, आयु–55 वर्ष व्यवसाय–कृषि, निवासी–ग्राम कड़वाला, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र.

2– अरविन्द पिता कमलसिंह, आयु–25 वर्ष व्यवसाय–कृषि

3– पिन्टु पिता कमलसिंह, आयु–22 वर्ष, निवासीगण–ग्राम मितेरा, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म.प्र. ——— अनावेदकगण

मुख्तार खान एड
24/1/18

17/1/18

श्री मुख्तार खान अभिभाषक द्वारा आज कैम्प उज्जैन पर प्रस्तुत
17-1-18

निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत

न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, शुजालपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1–अ 13/17–18 सिद्धुलाल विरूद्ध कमलसिंह में पारित आदेश दिनांक 21/11/2017 के विरूद्ध ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2018/0554

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–2–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 21–11–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण कराया गया है और स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत होना सिद्ध पाते हुए तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया है, जिमसें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	